आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। Revenue Revision Case No.10/2022 सुमन कुमार राय एवं अन्य बनाम जनार्धन प्रसाद राय एवं अन्य	आदेश पर गई कार्रवा: बारे मे f तिथि सहित
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

25/11/25

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद अंचल अधिकारी, तिसरी के Settlement Case No.01/2003-04 इस वाद के विपक्षी के पक्ष में किये जाने के विरूद्ध U/s 21 of Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Act 1989 के तहत लाया गया है।

वादगत भूमि की विवरणी।

अंचल	मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
तिसरी	नावाडीह	31	68	34 डी0

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने वक्तव्यों एवं लिखित आवेदन के माध्यम से अपने पक्ष में मुख्यतः यह बात रखा गया की प्रथम पक्ष एवं विपक्षी एक ही पूर्वज (नुरो महतो) के वंशज है परन्तु विपक्षी द्वारा वादगत भूमि का पूर्ण रकवा हड़पने की मंशा से अंचल कार्यालय, तिसरी से साठ–गाठ कर वासगीत पर्चा के माध्यम से अपने पक्ष में बंदोबस्ती करा लिया गया और लगान रसीद भी निर्गत करा लिया गया है।

अतः विपक्षी के पक्ष में नियम विरूद्ध तरीके से की गई बंदोबस्ती को निरस्त की जाय।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावों के समर्थन में वादगत भूमि की पंजी II एवं खतियान की सत्यापित प्रति की छायाप्रति दायर की गई परन्तु वासगीत पर्चा से संबधित कोई भी दस्तावेज दायर नहीं किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Show Cause दायर कर बतलाया गया की विपक्षी के पक्ष में कोई भी वासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया गया है। और अपने हिस्से के दखल जमीन का लगान सरकार को देने के निमित्त इनके द्वारा लगान निर्धारण का आवेदन अचंल कार्यालय में दिया गया ताकि भविष्य में वादगत भूमि से संबंधित कोई कठिनाई न हो।

अतः आवेदक के द्वारा दायर वाद अपोषनीय है और अस्वीकृत करने योग्य है।

विपक्षी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में बिहार भूमि सुधार अधिनियम के नियम 5, 6, 7 के तहत माल निर्धारण प्रपत्र की सत्यापित प्रति की छायाप्रति दायर की गई है।

सनुवाई के क्रम में अंचल अधिकारी, तिसरी से वादगत भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई जो कि अंचल अधिकारी, तिसरी के पत्रांक 62 दिनांक 04.02.2025 एवं पत्रांक 357 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। अंचल कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन पर उभय पक्ष द्वारा बिना किसी आपत्ति के सहमति जताई गई है।

सम्पूर्ण अभिलेख, अंचल अधिकारी, तिसरी का प्रतिवेदन, उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दायर Petition/Show Cause/Written Statement एवं दस्तावेज के अवलोकन तथा परिशीलन के उपरांत की निम्न तथ्य परिलक्षित होता है:–

1. प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद U/s 21 of Bihar Act 1948 Privileged Persons Homestead Tenancy Act for landless Person 1989 के तहर दायर किया गया, जो कि वासगीत पर्चा की भूमि से संबंधित है। परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा वासगीत पर्चा से संबंधित कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही अंचल अधिकारी कार्यालय से भी कोई सूचना वासगीत पर्चा से संबंधित उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के आलोक में दायर धारा के तहत यह वाद पोषनिय नहीं है।
2. अंचल अधिकारी, तिसरी के पत्रांक 357 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रतिवेदन जो कि उभय पक्ष के सभी पक्षकार का अवस्थित मकान एवं दखल से संबंधित है। दोनों पक्षों द्वारा बिना आपत्ति के स्वीकार किया गया।
3. उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया की अंचल अधिकारी, तिसरी के पत्रांक 357, दिनांक 27.05.2025 के प्रतिवेदन में उल्लेखित नामवार दखल–कब्जा बिल्कुल सही है एवं इस आधार पर आदेश किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

–: आदेश :–

उक्त तथ्यों एवं Natural Justice के आधार पर अंचल अधिकारी, तिसरी को यह आदेश दिया जाता है कि उनके पत्रांक 357, दिनांक 27.05.2025 में उल्लेखित दखल अनुसार अगर पक्षकार आवेदन करते है तो उस पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि चुकी यह मामला वासगीत पर्चा से संबंधित नहीं है इसलिए U/s of 21 of B.P.P.H.T के तहत यह वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है, इसके साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश से सभी संबंधितो को अवगत करा दिया जाय।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Ramniwas Yadav
Date: 2025.11.27 17:00:14 +05:30
Location: 192.168.10.12

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।